पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सलोह
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA SALOH
तहसील-हरोली, जिला-ऊना (हि.प्र.)/Tehsil-Haroli, Distt.-Una (H.P.)-177209
दूरभाष नं./ Contact No.-01975-292777
वेबसाइट/Website: - https://santokhgarhsaloh.kvs.ac.in ई-मेल/ E-mail: kendriyavidyalayasaloh@gmail.com
CBSE Affi. No.600025, CBSE School Code-44841, KV Code-2296 & U-DISE No.02070103909

संदर्भ- फा॰सं॰-58/के॰वि॰ सलोह/2026-27/290-291 दिनांक:- 26-09-2026

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सलोह (हिमाचल प्रदेश) में निष्प्रयोज्य/अप्रचलित घोषित किये गए अनुपयोगी सामग्री जैसे: फर्नीचर, WET विभाग के उपकरण , रद्दी, पुराने समाचार पत्र, पुरानी उत्तर पुस्तिकाएं (Answer sheet), गत्ते, लाइब्रेरी से पुरानी किताबे, निष्प्रयोज्य फाइलें, विविध पत्रिकाएं एवं अन्य कबाड़ की नीलामी दिनांक 01 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:00 बजे पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सलोह के परिसर में सक्षम अधिकारी द्वारा कंडमनेशन कमेटी के सदस्यों के समक्ष की जाएगी। नीलामी से सम्बंधित नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं, जिनको मौके पर भी उल्लेखित किया जायेगा:

नियम एवं शर्तें:-

1. सभी सामान पुराना, प्रयोग किया हुआ एवं निष्प्रयोज्य/अप्रचलित है।
2. उपरोक्त सामान की नीलामी "जैसा हैं, जहाँ जैसी स्थिति में है" के आधार पर की जाएगी।
3. विद्यालय का कोई भी कर्मचारी एवं उनके परिवार का सदस्य सार्वजनिक नीलामी में भाग नहीं ले सकता है।
4. नीलामी के संबंध में सभी निर्णयों का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा एवं उसके लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।
5. नीलामी के दिन यदि फर्म के मालिक के स्थान पर उनके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति बोली में भाग लेता है तो उसके पास सम्बंधित फर्म से बोली में भाग लेने के लिए प्राधिकार पत्र हो, जिसे नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा विद्यालय में जमा करवाना होगा।
6. नीलामी किए जाने वाले सामान को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सलोह के परिसर में आकर कोई भी फर्मदाता दिनांक 30/09/2026 तक को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक देख सकता है।
7. उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को तुरंत बोली उपरांत निष्प्रयोज्य/अप्रचलित घोषित सामान की बनी कुल राशि विद्यालय में कैश, ऑनलाइन, RTGS/NEFT के माध्यम से विद्यालय में जमा करवानी होगी। अन्यथा अगली उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को सामान नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए दे दिया जायेगा। इसलिए फर्म पर्याप्त राशि नकद के रूप में या अपने बैंक खाते में रखे एवं चेक साथ लेकर विद्यालय में आये ।
8. सफल बोली लगाने के बाद कोई भी वस्तु किसी भी शर्त पर विद्यालय द्वारा वापिस नहीं ली जायेगी।
9. उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म को पूर्णराशि जमा करवाने के बाद ही सामान ले जाने का अधिकार होगा और नीलामी के बाद एक दिन के भीतर सभी सामान सफल बोलीदाता द्वारा उठाया जाना अनिवार्य होगा।
10. सामग्री को विद्यालय से ले जाने के लिए वहां इत्यादि का इंतजाम उच्चतम बोलीदाता फर्म को स्वयं ही करना होगा।
11. यदि नीलामी वाले दिन न्यूनतम तीन फर्म बोली लगाने के लिए उपस्थित नहीं होती है तो उस स्थिति में नीलामी प्रक्रिया को उस दिने के लिए रद्द कर दिया जायेगा ।

प्राचार्या, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सलोह कोई भी कारण बताए बिना उक्त नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने के लिए निर्बाध अधिकार सुरक्षित रखती है।
नीलामी में भाग लेने वाली सभी फर्म उपरोक्त सभी शर्तो के पालन के लिए बाध्य होगी।

नीलम गुलेरिया
(नीलम गुलेरिया)
प्राचार्या
प्राचार्य/Principal
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सलोह
PM SHRI Kendriya Vidyalaya Saloh-177209

वितरण: -

1. विद्यालय नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पीएम श्री के.वि. सलोह।
2. अध्यक्ष, VMC पीएम श्री के.वि. सलोह।
3. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त के.वि. गुरुग्राम संभाग-ईमेल द्वारा
4. उपायुक्त, के.वि.सं.(क्षे.का.), गुरुग्राम संभाग-ई-मेल द्वारा

Scanned with OKEN Scanner